संख्या-3 / 17/सं0वि0/2004-13-संस्कृति/2004

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

संस्कृति अनुभागः देहरादून दिनांक 25 मार्च, 2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2003-04 में शहीद स्मारक देघाट वि0खण्ड, स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा के जीर्णोद्वार हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-939/स0नि0उ0/तृतीय-41/2003-04 दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, में शहीद स्मारक देघाट वि0खण्ड, स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा के जीर्णोद्वार हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत अनुमोदित रू0 2.37 लाख (रूपये दो लाख सैंतीस हजार मात्र) के विपरीत इस वित्तीय वर्ष 2003-04 में इतनी ही हधनराशि आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जाती है कि इसके उपरांत योजना में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

3- यहा पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका केह नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व समक्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

4- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियो के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि का के उपरान्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

6- निर्माण सामाग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय ताकि उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय। व्यय करते समय टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का पालन किया जायेगा।

NIC-1411

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

8– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–10–महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना–1091–जिला योजना–25–लघु निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

9 –उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–2113/वित्त अनु0–3/2003, दिनांक 23 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– –सं0वि0/2004–13 संस्कृति /2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
3– निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री जी ।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिवह वित, उत्तरांचल शासन।
5– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6– निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिषर।
7– वित्त अनुभाग–2।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।